

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/50156-376


दिनांक: 13/06/2022

1. उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-U) के अंतर्गत तकमीना बनाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजनान्तर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का तकमीना आरयूआईडीपी-2017 की वीएसआर पर किये जाने के निर्देश पूर्व में प्रदान किये गये है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित कार्यों के श्रम मद में दिये जाने वाला पारिश्रमिक व टास्क श्रम विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप ही दिया जाना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए रु. 259/- प्रतिदिन, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए रु. 271/- प्रतिदिन व कुशल श्रमिकों के लिए रु. 283/- प्रतिदिन भुगतान के अनुरूप Rate Analysis में दरें उपयोग में ली जाकर तकमीना बनाया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार तकमीना बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/50377-427

दिनांक :

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (समस्त), राजस्थान।
4. सम्भागीय अधीक्षण अभियंता (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
6. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता